राजस्थान – सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी. / तक–3 / रे.रो.स. / 2016–17 / 2391-2454 दिनांक : 5-5-16

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ...
2. परियोजना निदेशक कृषि (वि0) सी.ए.डी कोटा
3. उप निदेशक, कृषि (विस्तार) आईजीएनपी, बीकानेर

विषयः– रेपिड रोविंग सर्वे हेतु दिशा–निर्देश वर्ष 2016–17

फसलों की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करने हेतु आवश्यक है कि फसलों में कीड़े बीमारियों का प्रकोप नहीं हो अथवा प्रकोप होने की स्थिति में उनका समय पर नियंत्रण किया जावे। फसलों में मौसम की अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर अनेक प्रकार कीट व्याधियों के प्रकोप की संभावना होती है। यदि समय पर नियंत्रण के उपाय नहीं अपनाये जाये तो उत्पादन में भारी कमी हो सकती है। इस हेतु रेपिड रोविंग सर्वे के माध्यम से कृषकों को कीट रोग प्रकोप की सघनता की जानकारी एवं समय पर नियंत्रण के उपायों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे उत्पादन में होने वाली कमी से बचा जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रेपिड रोविंग सर्वे कार्यक्रम के क्रियान्विति हेतु भरसक प्रयास किये जावे। दिशा–निर्देश / भौतिक लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहें हैं।

संलग्नः–दिशा निर्देश / भौतिक लक्ष्य

(डॉ. नीरज के. पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ट
शासन सचिव, कृषि

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी. / तक–3 / रे.रो.स. / 2016–17 / 2391-2454 दिनांक : 5-5

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :
1. अपर निदेशक कृषि (विस्तार / आदान / अनु. / एनएमओओपी) मुख्यालय, जयपुर ।
2. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)खण्ड .... ।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना / आदान / गु.नि. / जउप्र / शस्य एटीसी / प्र.एवं मू. / सांख्यिकी / रसायन / विस्तार / आरकेवीवाई) मुख्यालय, जयपुर
4. उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी / सूचना / बीज) मुख्यालय, जयपुर।
5. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी कृ. जयपुर

5.5.16
(एच.एस.मीना)
संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)

रैपिड रोविंग सर्वे हेतु दिशा निर्देश :–

1. इस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड होगें।

2. रैपिड रोविंग सर्वे/पेस्ट सर्विलेन्स तथा मोनिटरिंग का तात्पर्य फसल की वृद्वि एवं विकास के समय फसल को प्रभावित करने वाले जैविक (Biotic) तथा अजैविक (Abiotic) कारकों की पूर्ण निगरानी एवं सूचना के आधार पर विश्लेषण कर फसल पारिस्थितिकी में समुचित विकास सुनिश्चित करना है, जिससे उपयोगी एवं प्रभावशाली कीट प्रबन्धन रणनीति एवं गतिविधियां सुनिश्चित कर लागू किया जा सकें ।

3. खरीफ एवं रबी फसलों में रैपिड रोविंग सर्वेक्षण कार्य की विभागीय निर्धारित तिथियों पर प्रत्येक माह में दो बार प्रथम एवं द्वितीय पखवाडे में खण्ड स्तर पर निर्धारित किये गये रूट चार्ट के अनुरूप आवश्यक रूप से संचालित किया जावें यदि किसी विशेष परिस्थितियों में किसी पखवाडे में रैपिड रोविंग सर्वे का कार्य संचालित नहीं किया जाता है तो ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए समय पर आयुक्तालय को सूचित करा जावे ।

4. रैपिड रोविंग सर्वे कार्य को खण्ड स्तर पर गठित सर्वे दल द्वारा खण्ड के सभी जिलों का समावेश करते हुए निर्धारित तीन दिवसों में पूर्ण करना होता है । अतः उसी अनुरूप प्रत्येक सीजनवाइज निर्धारित तिथियों में रूट चार्ट को तैयार किया जावें तथा इसकी एक प्रति आयुक्तालय को भी सूचनार्थ भिजवायी जावे ।

5. प्रत्येक निर्धारित रूट पर निर्दिष्ट स्थान से रैपिड रोविंग सर्वे दल प्रस्थान करके 10 किलो मीटर की दूरी पर रूक कर वहां की फसलों का अवलोकन कर उसमें लगे हुए कीट एवं व्याधियों की पहचान कर उसके प्रकोप की सघनता का आंकलन करेगा । विशेषतौर से ठहराव बिन्दु के आस–पास कम से कम 1 हैक्टर खडी फसल में पांच अलग–अलग स्थानों पर एक–एक वर्गमीटर में कीट एवं व्याधि की सघनता रिकार्ड की जावे तथा इस सघनता को 0 से 4 की ग्रेड स्केल में प्रपत्रानुसार दर्शाया जावे ।

6. इसके साथ ही रैपिड रोविंग सर्वे दल द्वारा 10 किलो मीटर पर खेतो की मेडों पर, पौधों के अवशेषों में खरपतवारों में, खाली पडी भूमि एवं वन समीप भूमियों में भी फसलों से सम्बधित कीट एवं व्याधियों की अथवा उनके लार्वा/प्यूपा की उपस्थिति की सत्यता हेतु 1x1x1 फीट का गढढा खुदवाकर प्यूपा व लार्वा व अन्डे आदि की स्थिति की रिपोर्ट भी दी जावे ।

7. आगामी ठहराव बिन्दु पर जो कि 10 किलो मीटर की दूरी पर होगा यदि रैपिड रोविंग हेतु निर्धारित फसल में से कोई फसल नहीं है तो रैपिड रोविंग सर्वे दल निर्धारित फसल मिलते ही उसमे कीट–व्याधि की पहचान कर उपरोक्तानुसार उसकी सघनता का आंकलन करेगा। वहीं प्रक्रिया हर ठहराव बिन्दु पर उजाला रहने तक अथवा रूट चार्ट के अंतिम दिन तक अपनाई जावे तथा वहीं प्रकिया दूसरे अथवा तीसरे दिन भी निर्धारित रूट चार्ट में अपनाई जावें ।
8. रैपिड रोविंग सर्वेक्षण से प्राप्त आंकडों का फसलवार विवरण निर्धारित प्रपत्र में कीट/व्याधि के प्रकोप की सघनता के साथ उपरोक्त ग्रेड के अनुरूप दर्शाया जावे।
9. उपरोक्त सर्वेक्षण प्रपत्र के आधार पर कीट/व्याधि की सघनता के अनुरूप किसी क्षेत्र विशेष के लिये उनके नियंत्रण हेतु दिये गये सुझावों की अभिशंषा पृथक से रिपोर्ट प्रतिवेदन के साथ दी जावे ।

10. रिपोर्ट प्रतिवेदन पर ऐसे कीट/व्याधि के प्रकोप की सघनता पर सुस्पष्ट एवं विशेष टिप्पणी अंकित की जावे, जिस पर तुरन्त कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।

11. ऐसे सर्वे दल के प्रभारी तथा कीट/व्याधि के विशेषज्ञ उक्त रिपोर्ट प्रतिवेदन को अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बधित खण्ड के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) को मुख्यालय पर पहुँचते ही दूसरे दिन कार्यालय दिवस में प्रस्तुत कर देवें तथा संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) उक्त सूचना के आधार पर अविलम्ब अपनी टिप्पणी सहित आयुक्तालय को प्रस्तुत कर दे ।

12. सर्वेक्षण दल में सम्मिलित जिला/उप जिला स्तर के अधिकारी सर्वेक्षण के आधार पर कीट/व्याधि की सघनता के अनुरूप अपने-अपने क्षेत्र में सुपरवाइजर स्तर तक इनके नियंत्रण की क्रियान्विति को सुनिश्चित करायेगें

13. खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा आवश्यक होने पर कीट/व्याधि से सम्बधित जानकारी को व्यापक रूप से कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन, कृषक गोष्ठियों, पम्पलेटस आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करेगे तथा की गई कार्यवाही से समय-समय पर आयुक्तालय को अवगत करायेगे ।

14. रेपिड रोविंग सर्वे हेतु खण्ड स्तर पर गठित सर्वे दल द्वारा खण्ड के सभी जिलों का समावेश करते हुए प्रत्येक माह में 2 बार प्रथम एवं द्वितीय पखवाडों में निर्धारित 3 दिवसों में निर्धारित किये गये रूट चार्ट के अनुरूप संचालित किया जावेगा तथा किये गये सर्वे का विस्तृत विवरण अलग से भिजवाये गये प्रपत्रों में संयुक्त निदेशक कृषि (पौध संरक्षण) को भिजवायेगे ।

15. रैपिड रोविंग सर्वे टीम निम्न प्रकार होगी :-
    1. सहा.निदेशक कृषि (पौ.सं.) सम्बन्धित खण्ड, प्रभारी
    2. सहा.पौध व्याधि/कीट विशेषज्ञ सम्बन्धित ए.टी.सी.
    3. कृषि अधिकारी (पौ.सं.) सम्बन्धित जिला
    4. कृषि अधिकारी (पौ.सं.) सम्बन्धित उप जिला
    5. प्रतिनिधि सी.आई.पी.एम.सी./प्रतिनिधि राज्य. कृषि विश्वविधालय

16. रैपिड रोविंग सर्वे में कृषकों को अथवा सूचना देने वाले को कोई मानदेय भुगतान नहीं होगा ।

Annexure- A

STATEMENT SHOWING THE SEASONWISE TARGETS FOR RAPID ROVING SURVEY PROGRAMME for 2016-17 (KHARIF & RABI)

(Area in ha.)

SN	Crops	Jaipur	Sikar	Bharatpur	Ganganagar	Bikaner	Jodhpur	Jalore	Kota	Bhilwara	Udaipur	Kota CAD	IGNPBikaner	Total
	KHARIF	Tar.	Tar.	Tar.	Tar.	Tar.	Tar.	Tar.	Tar.	Tar.	Tar.	Tar.	Tar.	Tar.
1	Cotton	600	0	1500	16000	820	1550	600	0	700	900	0	0	22670
2	Paddy	0	0	300	800	0	0	0	300	300	1600	700	0	4000
3	Groundnut	1750	1000	600	200	1050	1660	500	800	1000	450	0	500	9510
4	Bajra	800	1200	1150	200	900	3000	1300	50	0	0	0	100	8700
5	Soyabean	0	0	0	0	0	0	0	3000	1400	1500	4000	0	9900
6	Maize	75	0	100	0	0	0	350	300	900	2000	100	0	3825
7	Sugarcane	0	0	0	1500	0	0	0	600	300	100	0	0	2500
8	Guar	520	600	500	1200	1700	600	300	0	0	200	200	500	6320
9	Til	200	150	200	0	0	150	300	200	200	0	0	0	1400
10	Other	395	300	300	500	430	500	200	285	250	500	350	150	4160
	TOTAL	**4340**	**3250**	**4650**	**20400**	**4900**	**7460**	**3550**	**5535**	**5050**	**7250**	**5350**	**1250**	**72985**
	RABI													
1	Gram	1300	2400	2000	3000	2250	900	700	1650	700	1100	600	250	16850
2	Mustard	1600	900	6000	7850	570	1500	650	2000	400	150	400	300	22320
3	Wheat	1450	1000	2600	3500	450	1600	800	950	350	400	750	500	14350
4	Barley	600	400	50	1000	20	0	0	0	50	150	0	15	2285
5	Other	400	250	200	300	310	350	410	295	200	150	200	100	3165
	TOTAL	**5350**	**4950**	**10850**	**15650**	**3600**	**4350**	**2560**	**4895**	**1700**	**1950**	**1950**	**1165**	**58970**
	G. TOTAL	**9690**	**8200**	**15500**	**36050**	**8500**	**11810**	**6110**	**10430**	**6750**	**9200**	**7300**	**2415**	**131955**

ANNEXURE-B

RAPID ROVING SURVEY TOUR PROGRAMME FOR THE YEAR 2016-17

Months	Ist Fortnight	IInd Fortnight
KHARIF		
(1) July, 2016		27,28,29
(2) August, 2016	9,10,11	29,30,31
(3) September, 2016	7,8,9	28,29,30
(4) October, 2016	5,6,7	26,27,28
RABI		
(1) Nov. 2016	7,8,9	28,29,30
(2) December, 2016	5,6,7	28,29,30
(3) January, 2017	4,5,6	25,26,27
(4) February, 2017	6,7,8	22,23,24

Note:- In Cotton growing districts the Rapid Roving Survey programme should be started from the month of May

In case of local holiday or gazetted holiday rapid roving survey work may be taken up on next working day.